18/01/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र 07 R 11 जा.दी. एवं प्रार्थना 212 R.T.A. सुनी गयी।	
(1)	अधिवक्ता विपक्षी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 07 R 11 जा.दी. मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व मे प्रार्थिया रतनदेवी के भाई जगदीशचन्द्र व सोहनलाल द्वारा वाद पत्र धारा 88-188 R.T.A. के तहत प्रस्तुत किया जो साक्ष्य .... लगातार	

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ

Scanned with AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के अभाव में खारीज हुआ। जिसकी जगदीशचन्द्र व सोहनलाल द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की, जो विचाराधीन है। प्रार्थिया ने तथ्य छुपा कर नया प्रकरण प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्टेज पर खारीज किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी ने कथन किया कि जगदीशचन्द्र व सोहनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया खातेदार पक्षकार नहीं है। प्रार्थिया अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के लिए कार्यवाही हेतु सक्षम है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. खारीज किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं होना पाया जाता है। अतः विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. खारीज किया जाता है।

(2) अधिवक्ता प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थिया पारिवारिक समझौता के आधार पर जेर बहस आराजी पर काबिज होकर उपयोग - उपभोग कर रही है, जिसका वाद पत्र अवश्य ही वादिया के पक्ष में डिक्री होगा

---लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जैर बहस आराजी नम्बर 425 रकबा 0.86 हे. विपक्षी के नाम पर दर्ज होने से प्रार्थिया के कब्जे व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने एवं न ही किसी अन्य से कराने हेतु एवं मौका वस्तुस्थिति को यथा स्थिति कायम रखने हेतु विपक्षीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किए जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर बहस आराजीयात विपक्षी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है एवं खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 R.T.A. खारीज फरमाया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रार्थिया ने पारिवारिक समझौता के आधार पर खातेदारी हक घोषित कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के निर्णय तक विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने मे विपक्षी का किसी प्रकार से हित प्रभावित नही होता है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण ता फैसला वाद ग्राम राजपुरिया पंचा. रोयल तहसील चित्तौडगढ स्थित आराजी संख्या ..... लगातार (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ	

हुक्म

x - ...

५२५ रकबा ०.४६०० हे. मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पत्रावली मुकाम सं. 293/2022 के साथ शामिल की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ

Scanned with AnyScanner